1	2	3	4	5	6
6	*Karnataka*	Karnataka Tank Irrigation Project (IDA Credit No. 1116-IN)	26-3-81	54.00	0.156
	F.Y. 1982				
7	*Madhya Pradesh*	M.P. Major Irrigation Project(IDA Credit No. 1177-IN)	24-2-82	220.00	5.335
8	*Kerala*	Kallada Irrigation & Treecrop Development Project			
		(*i*) IDA Cr. No. 1269-IN)	6-7-82	60.00	..
		(*ii*) IBRD Loan No. 2186-IN)	6-7-82	20.30	0.300
9	*Madhya Pradesh*	M.P. Chambal Irrigation-II Project (IDA Credit No. 1288-IN)	7-9-82	31.00	..
10	*Bihar oe Orissa*	Subarnarekha (Bihar and Orissa) Irrigation Project (IDA. Credit No. 1289-IN)	9-11-82	127.00	..

World bank report on Narbada project

956. SHRI RAMJI BHAI MAVANI:

SHRI NARSINH MAKWANA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether World Bank has submitted some report on the "NARBADA" Valley and Irrigation Plans of Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) how much amount has been sanctioned and received by Gujarat and India under various heads till 30th December 1982 from the World Bank and other sources in respect of (a) above;

(d) whether some World Bank expert teams are expected to come to India in the near future; and

(e) if so, the reasons therefor and when the final reports are likely to be submitted in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

(d) and (e). For implementing in phases, the Narbada Valley Development Project in Gujarat, discussions are in progress with the World Bank Group. A World Bank Mission is expected to appraise Phase-I of the project after final project reports have been furnished by the Government of Gujarat. Appraisal is expected to take place during 1983-84.

ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलता

957. श्री शिव चरण वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीकरण के बाद बैंक ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने में अपना प्रारम्भिक उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहे हैं और बैंकों की ग्रामीण शाखाएं, विकास का माध्यम होने के बजाय, पैसा जमा करने के केन्द्र बन गई हैं जिसके परिणाम-स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का जीवन स्तर गिर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल धनी किसानों के लिए बैंक-ऋणों के लाभ देने सम्बन्धी नीति समाप्त करके गांवों में कमजोर वर्गों की सहायता करने और समझाने हेतु योजनाएं क्रियान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर किये जाने वाले वार्षिक व्यय का राज्य-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण अग्रिम जून, 1969 के 54 करोड़ रुपये से बढ़ कर दिसम्बर, 1981 में 3600 करोड़ रुपये हो गए। समनुरूप अवधि में ग्रामीण जमा-राशियां 145 करोड़ रुपये से बढ़ कर 5939 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार, ऋण जमा अनुपात में काफी वृद्धि हुई और वह जून, 1969 के 37.2 प्रतिशत से बढ़ कर दिसम्बर, 1981 में 60.6 प्रतिशत हो गया।

अलबत्ता, ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से दिए गए ये अग्रिम ग्रामीण क्षेत्र में प्रयुक्त बैंकों के समग्र अग्रिमों का भाग नहीं हैं। जून, 1980 में, जनसंख्या समूहों द्वारा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यावसायिक, स्वरूप के विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त का, जिसका उपयोग स्पष्टत: ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया, 60 प्रतिशत भाग, ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं से भिन्न शाखाओं के माध्यम से दिया गया।

बैंकों से कहा गया है कि वे 1985 तक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण का भाग, अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें। उसी तारीख तक, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में बैंक ऋणों का लक्ष्य मार्च, 1985 तक उनके कुल ऋण का 15 प्रतिशत और मार्च, 1987 तक 16 प्रतिशत रखा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे कमजोर वर्गों को जिसमें छोटे और सीमांतिक किसान, भूमिहीन मजदूर, सिकमीदार कृषक (टेनट फार्मर), बटाईदार, दस्तकार, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग, आई० आर० डी० पी० के लाभ प्राप्तकर्ता, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋणकर्ता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, ऋण का प्रवाह बढ़ाएं जिससे कि मार्च, 1985 तक वे प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋणों का 25 प्रतिशत भाग प्राप्त करने लगें।

बैंकों से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने और संयुक्त कार्यान्वियन के वास्ते जिला ऋण आयोजनाओं में निहित स्कीमें तैयार करने के लिए कहा गया है। इन उपायों से, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह और बढ़ने की आशा है।

(ग) ऋण प्रवाह सभी सामुदायिक विकास खण्डों में बैंकों की ऋण सहायता के जरिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख विकास योजना है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य, प्रत्येक खण्ड में प्रति वर्ष 600 परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठने में सहायता देना है। वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे बजट सम्बन्धी परिव्यय के लिए 1500 करोड़ रुपये तथा ऋण परिव्ययों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करें। 1980–81 तथा 1981–82 के दौरान इस योजना के अधीन क्रमश: 207 करोड़ रुपये और 470 करोड़ रुपये जुटाये जाने की सूचना मिली है। कार्यक्रम के अधीन सहायता पाने वाले गतिविधि-समूह, हर स्थान और परिवार के मुताबिक, अलग-अलग हैं।